

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

क्र० 2034/शा.चि.महा. चिकि./स्टोर/2021

अम्बिकापुर दिनांक 11/07/21

निविदा

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) की ओर से मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) के निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) प्रदान करने हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग. के वेबसाइट [www.gmcambikapur.co.in](http://www.gmcambikapur.co.in) डाउनलोड किये जा सकते हैं।

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि — 06/07/2021 समय—दोपहर 3 बजे तक।

निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि — 06/07/2021 समय—संध्या 4 बजे।

स्थान — शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)


संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय  
अम्बिकापुर सरगुजा (छ0ग0)

## मेडिकल गैस वर्ष 2021-22

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) के लिये निविदा आमंत्रित किया जा रहा है। निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी निविदा दस्तावेज में उपलब्ध है जो कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग. के वेबसाइट [www.gmcambikapur.co.in](http://www.gmcambikapur.co.in) से निर्धारित अवधि तक डाउनलोड किया जा सकता है। यह निविदा एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक के लिये आमंत्रित की जा रही है निविदा संबंधी जानकारी नियमानुसार है:-

निविदा कार्य का नाम	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा छ.ग. हेतु Medical Gas (Oxygen, Nitrous Oxide & Carbon dioxide Gas) Tender Year 2021-22
निविदा प्रपत्र मूल्य	1000.00 (एक हजार रु) वापसी योग्य नहीं। डिमांड ड्रफ्ट के रूप में।
धरोहर राशि Bank Draft or Banker's cheque	1,00,000.00 (एक लाख रुपये) वापसी योग्य
निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक <del>06/07/21</del> तक कार्यालय के वेबसाइट <a href="http://www.gmcambikapur.co.in">www.gmcambikapur.co.in</a> में <b>Tender</b> से <b>Download</b> किये जा सकते हैं।
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक <del>06/07/21</del> को दोपहर 03:00 बजे तक शासकीय पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा कार्यालय में आकर आवक-जावक शाखा में जमा किया जा सकता है।
निविदा खोलने की तिथि तथा स्थान	दिनांक <del>06/07/21</del> को सांय 4:00 बजे कार्यालय संयुक्त संचालक सह अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा में।


1. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग. के लिए संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक की ओर से आवश्यक मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) एक वर्ष (1 Year ) अथवा अग्रिम आदेश तक के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है।
2. यह निविदा मात्र मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) के लिये है, जिसके सभी प्रमाण पत्र जो निविदाकार के द्वारा संलग्न किया जाना है वे मेडिकल गैस के ही होने चाहिए अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।



3. निविदा प्रपत्र मूल्य – निविदा प्रपत्र मूल्य की राशि रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) नॉन रिफंडेबल होगी, जो की **Joint Director Cum Medical Superintendent Govt. Medical College Ambikapur** के पक्ष में देय हो।
4. निविदा अवधि क्रय आदेश दिनांक से 01 वर्ष के लिए अथवा नवीन निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने तक या अग्रिम आदेश तक मान्य होगी।
5. निविदा निर्माता कंपनी अथवा उनके द्वारा अधिकृत डिस्ट्रिब्यूटर्स का ही मान्य किया जायेगा।
6. मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) निविदा दो बिड पद्धति के द्वारा आमंत्रित की जाती है 01 (टेक्निकल बिड), और 02 (प्राइस बिड)।
7. एक सील बंद लिफाफे के ऊपर में मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) के लिए निविदा वर्ष 2021-22 के लिए लिखा हो, इस मुख्य लिफाफे के अंदर दो अलग-अलग लिफाफे निम्नानुसार होना चाहिए:-  
लिफाफा क्र. 01 (टेक्निकल बिड), और 02 (प्राइस बिड)।  
मुख्य सील बंद लिफाफा क्रय समिति के समक्ष खोला जावेगा, जिसमें उपलब्ध दो लिफाफे में से तकनीकी (Technical Bid) वाले लिफाफे को प्रथम खोला जावेगा।
8. **टेक्निकल बिड— (Technical Bid) जिसमें :-**  
निर्माता कंपनी अथवा उनके द्वारा अधिकृत डिस्ट्रिब्यूटर्स को निम्नलिखित प्रमाण पत्र की स्पष्ट छायाप्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।
  - 8.1 मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) निर्माता कंपनी का लाईसेंस जिसका पंजीयन जीवित हो।
  - 8.2 आयकर चुकता प्रमाण पत्र वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21।
  - 8.3 जीवित जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अंतिम GST समाशोधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
  - 8.4 पेन कार्ड की छायाप्रति।
  - 8.5 मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) विक्रय टर्न ओवर का प्रमाण पत्र जो कि पिछले दो वर्षों 2019-20 एवं 2020-21 का दर्शाये हुए प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 50 लाख (पचास लाख) होना चाहिए (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है)।
  - 8.6 मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) निर्माता कंपनी का वर्तमान वर्ष का वैद्य GMP एवं ISO प्रमाण पत्र वांछित होगा।
  - 8.7 प्लांट के व्यावसायिक उपयोग हेतु एंजेंसी फर्म/प्रोप्राइटर (मालिक) को संबंधित क्षेत्र नगरपालिका/नगरनिगम/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदत्त फैक्ट्री लाईसेंस/पंजीयन/अनापत्ति/सहमति पत्र का प्रमाण पत्र (गुमास्ता) संलग्न करना होगा।


  
 (2)

- 8.8 निविदादाता को निविदा के साथ अमानत राशि रू. 1,00,000.00 (एक लाख रुपये मात्र) का Bank Draft or Banker's cheque राष्ट्रीकृत बैंक का जो कि **Joint Director Cum Medical Superintendent Govt. Medical College, Ambikapur** के पक्ष में देय होना चाहिये संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8.9 निविदा प्रपत्र मूल्य – निविदा प्रपत्र मूल्य की राशि रुपये 1000/–(एक हजार रुपये) का Bank Draft or Banker's cheque राष्ट्रीकृत बैंक का जो की **Joint Director Cum Medical Superintendent Govt. Medical College Ambikapur** के पक्ष में देय हो, जो की नॉन रिफडेबल होगी,
- 8.10 लिक्विड मेडिकल (ऑक्सीजन,नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) प्रदाय करने वाले फर्म के ड्रग कंट्रोलर द्वारा इन्सपेक्शन रिपोर्ट फार्म नं 35 जिसमें ड्रग लाईसेंस अंकित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8.11 निविदादाता द्वारा Gas Cylinder Rules 2004 (Rule 3) का परिपालन करना अनिवार्य होगा एवं Chief Controller of Explosives Under Rule 45 द्वारा आवश्यक फिलिंग फार्म E अनुमति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8.12 Drug and Cosmetic act 1940 के अन्तर्गत फार्म 20B, 21B एवं 25 या 26 State Drug Controller द्वारा जारी किया गया मेडिकल गैस हेतु वैद्य लाईसेंस।
- 8.13 निविदादाता अधिकृत डिस्ट्रिब्यूटर्स है तो निर्माता कंपनी द्वारा प्रदत्त अधिकृत प्रमाण पत्र एवं निविदादाता निर्माता कंपनी है तो आवश्यक नहीं है।
9. निविदादाता को स्वयं के गैस सिलेण्डरों पर गैस सप्लाय स्वयं के वाहन से करना अनिवार्य होगा। जिस हेतु निविदादाता को किसी भी प्रकार का परिवहन शुल्क, अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। इस संबंध में 50.00 रू का स्टाम्प पेपर पर नोटरी युक्त शपथ पत्र संपादित करना अनिवार्य होगा तथा सिलेण्डरों पर सप्लाय निर्धारित स्थान पर स्वयं के व्यय पर वाहन से पहुंचाकर डोर डिलवरी (FOR) देना होगा।
10. कम से कम 100 बेड युक्त शासकीय चिकित्सालय या गैर शासकीय चिकित्सालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राथमिकता दी जावेगी।
11. प्रदाय किया हुआ मेडिकल गैस (ऑक्सीजन,नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) का प्रस्तुत देयक के साथ शुद्धता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. क्रय समिति के समक्ष आपके द्वारा छायाप्रति के रूप में संलग्न किये गए दस्तावेज का मूल प्रति से मिलान करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा एवं अनुपस्थित होने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. निविदादाता द्वारा दिये गये टेक्निकल बिड में उपलब्ध अभिलेखों के निरीक्षण उपरान्त क्रय समिति द्वारा जिन निविदादाता के अभिलेखों को सही पाया जायेगा उनकी निविदा मान्य




किये जाने पर ही निविदादाता के द्वारा प्रस्तुत मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) का प्राईस बीड को प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन उपरांत क्रय समिति के समक्ष खोला जावेगा। प्राईज बीड खोलने के समय पृथक से निविदादाता को आमंत्रित नहीं किया जावेगा।

14. Government of India Ministry Of Chemical and fertilizers Department Of Pharmaceuticals National Pharmaceutical Pricing Authority द्वारा मेडिकल गैस ऑक्सीजन का दर 25.09.2020 से 25.71/Cubic Meter निर्धारित किया गया है जो 31 मार्च 2021 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो लागू रहेगा। नाईट्रस आक्साईड का दर 232.96/Cubic Meter शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर अधिकतम छुट देने वाले फर्म को एल-1 घोषित कर निविदा प्रदाय की जावेगी। यहां यह स्पष्ट हो की आपके द्वारा दी जाने वाली छुट का प्रतिशत यथावत रहेगा चाहे शासन की दर कितनी भी घटे या बढ़े। कार्बन डाइआक्साईड 46.7 लिटर का दर प्रति सिलेंडर दिया जाना है। दिये गये प्रारूप अनुसार प्राईस बिड संलग्न करना होगा।
15. देयक के साथ सिर्फ गैस का ही GST मान्य किया जायेगा एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा के गैस प्लांट में प्रति सिलेण्डर डोर डिलीवरी (FOR) का दर अलग से प्रदाय नहीं किया जायेगा। आपके द्वारा प्रदाय मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) का दर को दिये गये प्रारूप में ही कम्प्यूटराईज टाइप करा कर संलग्न करना होगा। हस्तलिखित या किसी भी प्रकार की काट छाट स्वीकार नहीं की जाएगी।
16. देयक के साथ केवल शासन द्वारा प्रस्तावित दर पर GST ही मान्य किया जायेगा जिसका देयक में पृथक से उल्लेख कर देयक भुगतान हेतु 15 दिनों का देयक एक साथ कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा में प्रस्तुत करना होगा।
17. मानक गुणवत्ता की मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाईट्रस आक्साईड, कार्बनडाइआक्साईड) जिसे प्रमाणीकरण हेतु कहीं भी भेजे जाने का व्यय प्रदायकर्ता फर्म को वहन करना होगा।
18. निविदा नियमित तिथि एवं समय के पूर्व पंजीकृत डाक/पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से अथवा निविदादाता द्वारा लिफाफा को स्वयं अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के आवक-जावक शाखा में पहुंच जाना चाहिये। निविदा उसी कार्य दिवस निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित अवधि में खोली जायेगी। शासकीय अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में निविदा लिफाफा खोली जायेगी।
19. टेंडरकल बिड में सफल निविदादाता की प्राईज बिड द्वितीय चरण में खोली जायेगी।
20. स्वीकृत निविदादाता द्वारा जमा करायी गई अमानत राशि का Bank Draft or Banker's cheque निविदा समाप्ति तक जमा रखा जायेगा। जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। अस्वीकृत निविदादाता की अमानत राशि 15 दिवस के उपरांत लिखित आवेदन पत्र के बाद वापस किया जायेगा।

21. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा में अविरल रूप में पूर्ति बनाये रखने के लिए क्रय आदेशों के एक से अधिक प्रदायकर्ताओं में विभक्त कर सकेगा। जिसके लिए किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
22. आदेशित मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाइट्रसआक्साईड, कार्बनडाइआक्साईड) की पूर्ति स्वीकृत दर के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में शासकीय नियमानुसार कार्यवाही कर अर्धदण्ड की कटौती की जायेगी तथा अन्य स्रोत से क्रय किये जाने पर अधिकतम देय राशि की वसूली स्वीकृत निविदादाता के द्वारा जमा धरोहर राशि से की जायेगी अथवा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक का निर्णय सर्वमान्य होगा।
23. समस्त प्रदाय की जाने वाली मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाइट्रसआक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) के प्रत्येक सिलेण्डरों पर Name of gas. Mfg Date. Exp Date. Strength तथा Only cg Govt supply लिखा होना अनिवार्य है।
24. क्रय किये जाने वाली मेडिकल गैस की संख्या आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा की जा सकती है।
25. मेडिकल गैस (ऑक्सीजन) आवश्यक औषधी की श्रेणी में होने के कारण प्रति दिन में प्रति छः (6) घण्टे में मेडिकल गैस (ऑक्सीजन) प्रदाय करना अनिवार्य होगा एवं अतिआवश्यक होने पर किसी भी समय मांग किये जाने पर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। नाइट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड को आवश्यकतानुसार प्रदाय किया जाना होगा।
26. स्वीकृत निविदादाता द्वारा स्वीकृत दर पर मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाइट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) की पूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा संलग्न Bank Draft or Banker's cheque राजसात कर ली जायेगी एवं अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर निविदादाता को अगले तीन वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर काली सूची में डाला जायेगा।
27. स्वीकार निविदा को रूपये 50.00 के न्यायायिक मुद्रांक पर इकरारनामा नोटरी से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा कि यदि मेरे द्वारा प्रदाय की गई मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाइट्रस आक्साईड, कार्बन डाइआक्साईड) की गुणवत्ता परीक्षण कराये जाने की स्थिति में व्यय की राशि का भुगतान निविदादाता के द्वारा किया जायेगा तथा निम्न स्तर की पायी गयी तो अमानत राशि राजसात कर एवं कालीसूची में 03 वर्ष के लिए नामित किया जावेगा नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
28. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, उसका दस्तावेज परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छुट दी जावेगी।
29. शासकीय दरों में अधिकतम छुट (एल-1) प्रदाय करने वाले फर्म को निविदा प्रदाय की जायेगी व शासन के नियमानुसार देयक के साथ जी.एस.टी. ही मान्य होगा।
30. निविदा शर्त अनुसार एल-1 फर्म को 50.00 रु. के स्टाम्प पेपर पर संस्था के साथ अनुबंध/ईकरारनामा करना अनिवार्य है जो की क्रय आदेश के 04 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



(5)

31. देयक प्रस्तुत करते समय यदि प्रस्तुत कुल देयक दशमलव अंक में आता है तो उसको पूर्णांक करके देयक भुगतान किया जाएगा।
32. निविदादाता को दिये गये प्रारूप अनुसार घोषणा पत्र को 50.00 रु. के स्टाम्प पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
33. शासन द्वारा समय-समय पर दर परिवर्तन की दशा में जिस दिनांक से दर परिवर्तन किया गया है उसी दिनांक से ही नये दर को लागू मानते हुए देयक का भुगतान किया जावेगा।
34. गैस सिलेंडरो को गैस संग्रहण कक्ष अथवा अन्य चिन्हांकित स्थान पर लेजाने/ढुलाने का कार्य कैरियर वाहन/ट्राली द्वारा किया जाना होगा।
35. गैस सिलेंडरो से यदि गैस रिसाव होता है तो वाल्व का मरम्मत अथवा गैस सिलेंडरो से संबंधित अन्य मरम्मत स्वीकृत निविदादाता को अपने खर्च पर करना होगा।
36. स्वीकृत निविदादाता द्वारा प्रदाय किये गये गैस सिलेंडरो को किसी भी समय/स्थान पर वजन/प्रेसर जाँच किया जायेगा एवं वजन/प्रेसर यदि मानक अनुरूप नहीं पाया गया तो स्वीकृत निविदादाता पर निविदा शर्तों के अनुरूप उचित कार्यावाही किया जायेगा।
37. क्रय समिति के अनुसंशा उपरांत कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक बिना कारण बताये किसी भी स्तर पर समस्त निविदायें निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।

C  
28/5/21

संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय  
अम्बिकापुर सरगुजा (छ0ग0)

Basal

✓

Basal

Basal

Basal

## घोषणा पत्र

## प्रारूप संलग्न

(प्रत्येक निविदादाता को 50 रु. के स्टाम्प पेपर पर निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा करने के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मेरे फर्म को छ.ग. शासन, केन्द्र शासन अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है (काली सूची में दर्ज फर्म को निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा)।
4. फर्म द्वारा प्रस्तुत दर अंतिम है तथा इस दर पर किसी भी शासकीय या अन्य संस्था को ऑक्सीजन गैस प्रदाय नहीं किया गया है।
5. निविदादाता फर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का जाँच या विजलेंस केस लंबित नहीं है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा के शर्तों को पूर्ण रूप से मान्य किया जाता है एवं निविदा के किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर संयुक्त संचालक एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा को अनुषासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

स्थान : .....

दिनांक: .....

निविदादाता/फर्म का नाम एवं पूर्ण पता:

.....  
 .....  
 .....

मोबाईल नं. : .....

फैक्स नं. : .....

टेलीफोन नं. : .....



मेडिकल गैस (ऑक्सीजन, नाइट्रस आक्साईड, कार्बन  
डाइआक्साईड) प्राईज बीड प्रारूप

S.NO.	Name Of Medical Gas	Discount On GOI rate in Percentage (%)
A	B	C
1.	Oxygen Gas	
2.	Nitrous Oxide Gas	

S.NO.	Name Of Medical Gas	Rate
A	B	C
1.	Carbon dioxide Gas 46.7 Liter	

GST Charges will be extra on value after discount on GOI rate

